



दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण),
'बी' बिल्डिंग, वरुणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

क्रमांक: दिजबो / स० आ० (श्र.क.) / छात्रवृत्ति / 2021-22 / ३५०१५ दिनांक : ८-९-२१

परिपत्र

विषय: दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को वर्ष 2021-22 के लिये छात्रवृत्ति देने के संबंध में।

दिल्ली जल बोर्ड के समरत स्थायी/अस्थायी कर्मचारी जो 'सी' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में लगातार 3 वर्ष की सेवा—अवधि पूरी कर ली है वे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उन सभी दैनिक वेतन भोगी (मस्ट्रोल) कर्मचारियों को जिन्होंने पूर्व तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों की उपरिथित दर्ज की है उनके 'अविवाहित' आश्रित शिक्षारत पुत्र/पुत्रियों के लिए वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिन श्रेणी 'सी' के कर्मचारियों द्वारा विभाग से शिक्षा शुल्क की प्रतिपुर्ति ली जा रही है वे कर्मचारी भी अपने प्रथम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति लेने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि श्रेणी 'सी' के कर्मचारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ मिलने के कारण उनका वेतनमान श्रेणी 'बी' का हो गया है परन्तु उनका पद श्रेणी 'सी' का ही है वे कर्मचारी भी अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति केवल प्रथम दो बच्चों के लिए प्रदान की जायेगी।

छात्रवृत्ति छठी कक्षा में अध्ययनरत से उच्च श्रेणी पर किसी भी कक्षा/ कोर्स/ .डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री के लिए दी जायेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए न्यूनतम अकं (प्रतिशत में) एवं राशि निम्न हैं:-

क्र. स.	कक्षा (जिस के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी)	छात्रवृत्ति की राशि (रूपये प्रतिवर्ष)	पिछली कक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक
1.	कक्षा छठी से बाहरवी	6000/-	(क) लड़के—80 प्रतिष्ठत व अधिक (ख) लड़कियाँ—70 प्रतिष्ठत व अधिक
2.	डिप्लोमा कोर्स व आई.टी.आई.	6000/-	उपरोक्त
3.	सभी स्नातक कोर्स (बी.आई.एम.एस., बी.डी.एस., बी.टेक, एम.बी.बी.एस., डाक्टर इन फारमैसी, स्नातक, आर्युवैदिक व होम्योपैथिक, सी. ए, एवं एल.एल.बी. आदि)	20000/-	(क) लड़के—60 प्रतिष्ठत व अधिक (ख) लड़कियाँ—50 प्रतिष्ठत व अधिक
4.	सभी स्नातकोत्तर कोर्स (एम.डी., एम.एस., एम. टेक., एम सी ए, एम. बी. ए, एल. एल. एम, एवं स्नातकोत्तर आदि)	30000/-	(क) लड़के—50 प्रतिष्ठत व अधिक
5.	डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (पी.एच.डी.)	40000/-	(ख) लड़कियाँ—40 प्रतिष्ठत व अधिक



Prog I
०९.०९.२१
REB(EDP)

५४८८
०९.०९.२१
०९.०९.२१
REB(EDP)

कृपृज.

छात्रवृत्ति आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में 'श्रम कल्याण विभाग में 31.10.2021 तक अवश्य पुँहैच जाने चाहिए। देर से प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।' छात्रवृत्ति निर्धारित नियमानुसार ही दी जायेगी।

विभागाध्यक्ष केवल उन्हीं कर्मचारियों के प्रार्थना—पत्र इस कार्यालय को भेजें जो उपरोक्तानुसार शर्तों को पूरा करते हों। आवेदन विभागाध्यक्षों (डी.डी.ओ.) के माध्यम से ही श्रम कल्याण विभाग में स्वीकार किये जायेंगे।

गत् वर्ष में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कर्मचारियों को छात्रवृत्ति फार्म के बारे में समय पर सूचना नहीं मिलती हैं जिस कारण से कर्मचारी समय पर आवेदन नहीं कर पाते। अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र के बारे में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पूरी तरह से जानकारी दे तथा कार्यालयों/स्टोर्स आदि पर भी इसकी प्रतियों कर्मचारियों के सूचनार्थ नोटिस—बोर्ड पर लगाये। यदि किसी कर्मचारी को इस बारे में सूचना नहीं मिल पाती हैं और वह निर्धारित तिथि के पश्चात् फार्म जमा कराता है तो ऐसी स्थिति में उनका फार्म अस्वीकृत कर दिया जायेगा। तथा इसका उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष पर होगा।

तीर-५ सिंह

(वीरेन्द्र सिंह)

सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

सभी विभागाध्यक्ष


प्रति कृपया सूचनार्थ :

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निजी सचिव
3. सदस्य प्रशासन / सदस्य वित्त / सदस्य जलापूर्ति / सदस्य ड्रेनेज
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव, दिल्ली जल बोर्ड
5. निदेशक प्रशासन एवं कार्मिक/ निदेशक राजस्व/ निदेशक वित्त एवं लेखा/ निदेशक सर्तकता/ निदेशक परिवर्तन
6. सभी मुख्य अभियंता
7. प्रशासनिक अधिकारी (जन सम्पर्क) – वर्तुण पत्रिका में प्रकाशनार्थ
8. सभी यूनियनें ।
9. EE(EDP) कृपया दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर डाले

तीर-५ सिंह

सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 31.10.2020



दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : सहायक आयुक्त (अम कल्याण),
‘बी’ बिल्डिंग, वरुणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

वित्तीय वर्ष 2021–2022 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

आवश्यक सूचना : कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक धड़!

1. आवेदन – पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31.10.2021 हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
 2. फार्म के अंत में डी.ली.ओ. के हस्ताक्षर ‘मोहर सहित’ होना अनिवार्य हैं।
 3. यदि छात्र चालू वित्त वर्ष 2021–2022 में नहीं पढ़ रहा है तो वह छात्रवृत्ति का हकदार नहीं होगा। अतः ऐसे कर्मचारी छात्रवृत्ति फार्म न भरें।
 4. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिये जायेंगे।
 5. पहले व दूसरे बच्चे के फार्म एक साथ लगाकर भेजे जायें।
 6. ‘जो लागू न हो उसे काट दें।

छात्रवृत्ति - 2021-22 के लिए आवेदन

खण्ड (क) : आवेदक / कर्मचारी का विवरण :-

कृपा

खण्ड (ख) परिवार का विवरण :

क्र. सं	आश्रित सदस्य का पूरा नाम	संबंध	आयु

खण्ड (ग) छात्र/छात्रा का विवरण जिसके लिए आवेदन किया है :

1	छात्र/छात्रा का नाम :	2	वर्ष 2021–22 में अध्यनरत कक्षा का विवरण (जिस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जानी हैं)	
3	गत वर्ष 2020–21 में उर्तीण की गई परीक्षा	4	गत वर्ष 2020–21 में उर्तीण की गई परीक्षा का विवरण :	कुल अंक: प्राप्तांक : प्रतिशत :

घोषणा :

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि :-

- उपरोक्त दी गई सूचनायें पूर्णतः सत्य हैं
- उपरोक्त छात्र/छात्रा जिसके लिए आवेदन किया गया है मेरे प्रथम दो बच्चों में से एक हैं जो कि पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं।
- उपरोक्त छात्र/छात्रा ने गत वर्ष 2021–22 पूर्ण कालीन सत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेज/शिक्षण संस्थान से अध्ययन पूर्ण किया है तथा वर्तमान सत्र में भी शिक्षारत है।
- उपरोक्त बच्चे के संबंध घोषणा करता हूँ यदि मुझे इस छात्रवृत्ति की प्राप्ती के उपरांत किसी अन्य स्रोत से भी छात्रवृत्ति/ **stipend/salary or any other financial support** होती है तो मैं दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त छात्रवृत्ति को 30 दिन के अंतर्गत वापिस कर दूँगा।

क्रम सं.	संलग्न		
1.	बोर्ड में उर्तीण की गई परीक्षा की अंक तालिका		
	वर्ष 2020–21 की अंक तालिका		
2.	2021–22 के सत्र में प्रवेश के भुगतान की रसीद		
3.	कार्पोरेशन बैंक जिसमें छात्रवृत्ति हस्तांतरित की जानी है के कैंसल चेक की प्रति/पासबुक के प्रथम दो पृष्ठों की छाया प्रति		
4.	मेडिकल कार्ड की छायाप्रति		
5	मार्च 2021 की वेतन तालिका	कर्मचारी के हस्ताक्षर	

कृपृज.

शैक्षिक संस्थान के प्रधानाचार्य की घोषणा :-

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त “खण्ड ग” में दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य हैं। हमारा विद्यालय/कॉलेज/शिक्षण संस्थान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसमें उपरोक्त छात्र/छात्रा द्वारा गत वर्ष 2020–21 में सरकार द्वारा मान्य कोर्स/शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत पूर्ण कालीन सत्र में से अध्ययन पूर्ण किया है। विद्यालय से उपरोक्त छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति, stipend/salary or any other financial support नहीं दी गई है।

हस्ताक्षर :

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक की मोहर :

विभागाध्यक्ष की घोषणा :-

क. मैंने जॉच कर ली है व कार्यालय रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त “खण्ड क व ग” में दिये गये सभी विवरण सही हैं और श्री/श्रीमतिका 31 मार्च 2021 को बेसिक पे रूपये था (जो कि ‘सी’ श्रेणी के अन्तर्गत आता हैं) और उसने सेवा में लगातार वर्ष/दिन पूरे कर लिये हैं ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

निवास स्थान :

.....
.....

हस्ताक्षर:

विभागाध्यक्ष की मोहर:

दिनांक:

स्थान :

सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)
दिल्ली जल बोर्ड, मुख्यालय 'बी' बिल्डिंग